

०९^९/_{२५}

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवजें लगाई जाने के बावजूद वादी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली